राजस्व लोक अदालत अभियान
''न्याय आपके द्वार–2018''

आदेश

11 6/18 प्रार्थी [illegible] राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के शिविर हेतु [illegible] हुई [illegible] राज्य हित निहित नहीं है [illegible]

राज्य हित निहित नहीं है

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

117/2017/ वाद पत्र 08.09.2017 11.06.2018

उनवान

माधु उर्फ महादेव पिता छीतर जाट नि0 खामोर तह0 शाहपुरा

-- वादी

बनाम

1– मु0 चन्द्रकान्ता पत्नि भंवरलाल महाजन नि0 खामोर तह0 शाहपुरा
2– शाखा प्रबन्धक, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गुलाबपुरा
3– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री त्रिलोक चन्द नोलखा : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के खातेदारी अधिकार की ग्राम खामोर तहसील शाहपुरा की जमाबन्दी संवत 2072 से 75 मे खाता संख्या 458 कुल किता 07 रकबा 2.50 है0 जो उपयोग उपभोग मे आ रही है। मु0 रूकमा ने अपने हिस्सा अपने सगे भाई वादी के पक्ष मे रजिस्ट्रर्ड हक त्याग कर देने से नामान्तरकरण संख्या 1437 से रूकमा का हिस्सा वादी के दर्ज हो जाने से उसको पक्षकार नही बनाया गया है। वादी व मु0 रूकमा उर्फ लाड पुत्री छीतर जाट के खातेदारी की ग्राम खामोर प0ह0 खामोर तहसील शाहपुरा की जमाबन्दी संवत 2072 से 75 खाता संख्या 459 कुल किता 7 रकबा 6.77 है0 है जिसमे भी रूकमा ने अपने भाई वादी के पक्ष मे रजिस्ट्रर्ड हकत्याग करने से ना0क0 संख्या 1437 से मु0 रूकमा का हिस्सा वादी के नाम दर्ज हो जाने से रूकमा को पक्षकार नही बनाया है। वादी को बचपन मे प्यार से परिवार वाले माधु के नाम के पुकारते थे इस कारण मोहल्ले वाले व गांव वाले माधु के नाम से ही वादी के नाम से जानते थे जबकि वादी का नाम महादेव है। वादी को बचपन मे स्कूल मे अपने पिता ने भर्ती कराया तब वादी का नाम महादेव लिखाया। वादी ने अपनी पढ़ाई पूरी की उस समय तक वादी का नाम महादेव दर्ज था। कार्यालय राजकीय माध्यमिक विद्यालय खामोर के द्वारा दिनांक 16.12.1985 को वादी को उसका स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) दी थी जिसमे वादी का नाम महादेव पिता छीतर जाट लिखा हुआ है। वादी के परिवार का राशन कार्ड जो ग्राम पंचायत खामोर द्वारा जारी किया गया, आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र सभी मे वादी का नाम महादेव पिता छीतर जाट दर्ज है। अतः वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण नं0 1 के खिलाफ इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद पत्र के पेरा नं0 1 व 2 मे वर्णित आराजीयात मे खातेदार माधु के नाम के साथा उर्फ लिखते हुये महादेव इन्द्राज किये जाने का आदेश बक्षावे। जिसकी पालना प्रतिवादी नं0 3 से कराई जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 14.11.2017 को प्रतिवादी नं0 2 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नं0 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। दिनांक 13.03.2018 को प्रतिवादी नं0 1 की तलबी ए0डी0 रसीद प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण जवाब दावा पेरोकार सरकार के नियत किया गया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र खामोर पर दिनांक 11.06.2018 को वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। वादी मय अभिभाषक व पेरोकार सरकार उपस्थित है। पेरोकार सरकार ने बताया कि प्रकरण मे राजहित निहित नही होने से जवाब की आवश्यकता नही है। वादी स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। बहस अभिभाषक सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यो एवं प्रस्तुत दस्तावेजात राशन कार्ड, टी0सी0, पहचान पत्र, आधार कार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिससे वाद की पुष्टि होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम खामोर प0ह0 खामोर तहसील शाहपुरा जमाबन्दी संवत 2072 से 75 मे खाता संख्या 458 कुल किता 07 रकबा 2.50 है0 व जमाबन्दी संवत 2072 से 75 खाता संख्या 459 कुल किता 7 रकबा 6.77 है0 मे दर्ज वादी का नाम माधु के स्थान पर महादेव संशोधन के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगे। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 11.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र खामोर पर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री के0आर0 यादव, आर0ए0एस0

माधु उर्फ महादेव पिता छीतर जाट नि0 खामोर तह0 शाहपुरा

– वादी

बनाम

1– मु0 चन्द्रकान्ता पत्नि भंवरलाल महाजन नि0 खामोर तह0 शाहपुरा
2– शाखा प्रबन्धक, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गुलाबपुरा
3– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टि0ए0
मुकदमा नम्बर 117 सन् 2017

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .... X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम खामोर प0ह0 खामोर तहसील शाहपुरा जमाबन्दी संवत 2072 से 75 मे खाता संख्या 458 कुल किता 07 रकबा 2.50 है0 व जमाबन्दी संवत 2072 से 75 खाता संख्या 459 कुल किता 7 रकबा 6.77 है0 मे दर्ज वादी का नाम माधु के स्थान पर महादेव संशोधन के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगे।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 11 माह 06 सन् 2018 से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा
जिला (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner